नोट – <u>चिकित्सीय जाँच उपरान्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्षद को उपलब्ध करायेगा।</u>

16.3 <u>शारीरिक दक्षता परीक्षण :–</u>

मात्र पुरूष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जाँच किया जायेगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका–06 के अनुरूप होगी।

दौड़:–

(क) पुरूषों के लिए 1 मील (1600 मीटर) – 06 मिनट में।

(ख) महिलाओं के लिए 1 मील (1600 मीटर) – 10 मिनट में।

शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रपत्र **परिशिष्ट–X** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

16.4 लिखित परीक्षा :– शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर आयोग द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली – 2015 (अद्यतन यथा संशोधित एवं समय–समय पर संशोधित) के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

16.5 <u>परीक्षा का स्वरूप</u> :– आयोग द्वारा ओ०एम०आर० (OMR)/सी० बी० टी० (CBT) आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहो में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–

(क) परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी – प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा।

परंतु **शारीरिक दक्षता परीक्षण** में 50,000 (पचास हजार) से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जायेगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आयोग निर्णय ले सकेगा।

(ख) परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

(ग) भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(घ) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम – सामान्य ज्ञान से संबंधित निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी।

(i)	सामान्य अध्ययन	– 30 प्रश्न
(ii)	झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	– 60 प्रश्न
(iii)	सामान्य गणित	– 10 प्रश्न
(iv)	सामान्य विज्ञान	– 10 प्रश्न
(v)	मानसिक क्षमता जाँच	– 10 प्रश्न
	कुल	**– 120 प्रश्न**

पत्र–

(i) **सामान्य अध्ययन –** इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमे झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाडी, महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था देश की राजनीतिक प्रणाली, पचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ii) **झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–** झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान–खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाडी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(iii) **सामान्य गणितः–** इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(iv) **सामान्य विज्ञानः–** सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(v) **मानसिक क्षमता जाँचः–** इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) प्रारम्भिक परीक्षा उपरान्त मुख्य परीक्षा हेतु चयनः– प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधासूची तैयार की जाएगी। तदुपरान्त कुल रिक्ति के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि (उदग्र एवं क्षैतिज) के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के पन्द्रह गुणा से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक धारित करने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा ।

(च) मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे :–

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	–	60 प्रश्न

भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंको को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

पत्र –2–चिन्हित <u>जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाः कुल प्रश्न–100,परीक्षा अवधि– 2 घंटा</u>

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पत्र– 3 <u>(सामान्य ज्ञान) : कुल प्रश्न–150, परीक्षा अवधि– 2 घंटा</u>

(क) सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	–	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	–	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	–	20 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का ज्ञान	–	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	–	40 प्रश्न

सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणीः– पत्र–1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र–2 एवं पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र–2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र–3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :–

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न – 30 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा)

हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–XIII** पर धारित है।

पत्र –3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययनः–

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जातीी है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम–सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

(ख) सामान्य विज्ञानः–

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ग) सामान्य गणितः–

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(घ) मानसिक क्षमता जाँचः–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं –सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञानः–

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम॰एस॰ विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम॰एस॰ ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञानः–

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा–साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल–खिलाड़ी, व्यक्तित्त्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

16.6 चिकित्सीय जाँच :–

I. शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जायेगी। चिकित्सा पर्षद में उनके द्वारा मनोनीत तीन चिकित्सक होंगे, जिसमें एक महिला चिकित्सक होंगी। चिकित्सीय जाँच परीक्षा में सफल होना आवश्यक है अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

II. चिकित्सीय परीक्षा के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सकीय दोषों का परीक्षण किया जायेगा :– **"मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईंडनेश (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental Disease."**

चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट–XI** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

III. चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए **Apex Medical Board,** अधीक्षक राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची होगा।

Apex Medical Board के द्वारा चिकित्सीय जाँच का प्रपत्र **परिशिष्ट–XII** के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

17. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच के उपरांत प्राप्तांक (Normalised प्राप्तांक) के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ii) मेधासूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हे अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक/10वीं परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात मैट्रिक/10वीं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I)	**अनारक्षित**	**– 40 (चालीस) प्रतिशत**
(II)	**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला–**	**32 (बत्तीस) प्रतिशत**
(III)	**अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –(अनुसूची–I)**	**– 34 (चौंतीस) प्रतिशत**
(IV)	**पिछड़ा वर्ग अनुसूची–II**	**– 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत**
(V)	**आदिम जनजाति**	**– 30 (तीस) प्रतिशत**
(VI)	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)**	**– 40 (चालीस) प्रतिशत**